न्यायालय तहसीलदार, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 716/24 निर्णय दिनांक 23/2/24

सरकार जरिये बनाम श्री लादूगढा पिता अमरचंद गुर्जर

पटवार हल्का सुवाणीया निवासी: मालडुंगा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

## निर्णय

पत्रावली आज मुकाम बेगूं पर पेश हुई। संक्षिप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुवाणीया ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि श्री लादूगढा पि० अमरचंद गुर्जर ने तहसील बेगूँ के ग्राम मालडुंगा में स्थित आराजी नम्बर 602 रकबा 0.02 किस्म आ०चरा० पर दोराने सम्वत् 2080 खरीफ में अनाधीकृत रूप से भूमि को पत्थर व मिट्टी का ढेर डालकर अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91(3) एवं धारा 91(6) एल.आर.एक्ट में जारी किया जो विधिवत रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतिकमी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में अतिक्रमित क्षैत्र अतिक्रमी के नाम नियमन योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अतिक्रमी को ग्राम मालडुंगा में स्थित खसरा नम्बर 602 रकबा 0.02 किस्म आ०चरा० भूमि से बेदखली का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान 1.00 रू. का 50 गुणा राशि 50=/– रूपये आरोपित किये जाते है। जो वसूल हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 28.01.11 सिविल अपील संख्या नम्बर 1132/2011 व एस.एल.पी.(सी) नम्बर 3109/2011 श्री जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य के अनुसार चरागाह भूमिया आवंटन/नियमन नही की जा सकती है।

निर्णय बमुकाम लिखाया जाकर सुनाया गया।

पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील रा[illegible] [illegible]कार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharmendra Swami
Date: 2024.05.16 16:21:52 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार
बेगूं जिला–चित्तौड़गढ़